Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ...बयाना..........................

.......................मदन सिंह..................बनाम ....राज सरकार.......................

किस्म मुकदमा 118/128 LR Act ....नं.3/24......सन् ....2024..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
16/3/24	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार बयाना से प्रार्थना पत्र अनुसार रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट बाबत [illegible] जारी। अप्रार्थी को नोटिस जारी हो। इन्तजार रिपोर्ट TDR बयाना प्रकरण दिनांक 10/6/24 को पेश हो।	
10/6/24	PS प्रार्थी उपस्थित। इन्तजार रिपोर्ट तहसीलदार बयाना प्रकरण दि. 8/7/24 को पेश हो।	
8/7/24	प्रकरण पेश हुआ। PS प्रार्थी उप. प्रकरण में तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तह. बयाना ने अवलोकन किया। [illegible] के प्रार्थी का बटवारा [illegible] है [illegible] किया है तहसीलदार बयाना को [illegible] पर बटवारा किया [illegible] बाबत [illegible] जारी प्रकरण दि. 10/8/24 को पेश हो।	

सहायक ... से पेश हो

11/9/24 पीठासीन अधिकारी .... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/8/24 को पेश हो

रीडर
एस.डी.एम.

30/8/24 – पक्षकार प्रार्थी उपस्थित। हल्का पटवारी रिपोर्ट [illegible] तलब। पत्रावली दि. 24/10/24 को पेश

24/10/24 – OPR ... हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त

पीठासीन अधिकारी .... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/11/24 को पेश हो

रीडर
एस.डी.एम

7/11/2024 – प्रकरण पेश हुआ। एडवोकेट प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 112, 128 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख०नं० 102/0.12, 103/0.10, 104/0.08, 105/0.04, 106/0.15, कुल कीता 5 कुल रकबा 0.49 हे० वाके ग्राम नदीगांव में स्थित है। उपरोक्त आराजी का प्रार्थी सालिम भाग का खातेदार, काश्तकार व काबिज आराजी है एवं उक्त आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजी है जो प्रार्थी को उसके पिता से प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थी अपने पिता के जीवन काल से लेकर बदस्तूर अब तक मालिक व काबिज है व काश्त करता चला आ रहा है राज लगान अदा करते चला आ रहा है आज भी प्रार्थी का मालिकाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कब्जा काश्त है उक्त आराजीयात पर अन्य किसी व्यक्ति का कोई कब्जा-दखल नहीं है; व न कभी रहा न अब है। उक्त आराजी के चारों दिशाओं में डोल मेड़ सीमा आज भी उसी प्रकार है जो पैमाइश से बनी थी। उक्त आराजी की प्रार्थी द्वारा दिनांक 12/7/2023 को विधि सम्मत तरीके से पैमाइश कराई गई थी दौराने पैमाइश उक्त आराजीयात के मौके पर पटवारी हल्का द्वारा सीमा ज्ञान कराया गया था जो रिकार्ड व मौके अनुसार सही था लेकिन पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को दिनांक 21/05/2024 को धमकी दी गई कि उक्त आराजी की दिनांक 12/7/23 को की गई पैमाइश की रिपोर्ट को दिनांक 12/7/23 की सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर दिया. अतः अप्रार्थी की उक्त धमकी व पैमाइश मानने से इन्कार करने व बेदखल करने की धमकी से प्रार्थी को अपने हकूक की रक्षा के लिए पत्थरगढ़ी कराना जाना आवश्यक हो गया। अप्रार्थी अपनी उक्त धमकी में सफल हो गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर विवादित आराजी की पैमाइश करवाकर रिकॉर्ड अनुसार पत्थरगढ़ी किए जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रा०पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बयाना ने अपनी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रांक 1Lक्र/24/1979 दिनांक 10/8/24 द्वारा विवादित आराजी पर बदन पुत्र लोधी जाति जाटव सा० देह खातेदार रकबा 13 R K ह. 3 बयाना के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर बदन पुत्र लोधी का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है अंकित किया। न्यायालय द्वारा के आदेश दिनांक की पालना में विवादित आराजी पर किसका कब्जा है बाबत पुनः रिपोर्ट तहसीलदार बयाना से चाही गई। तहसीलदार बयाना के पत्रांक मु०क्र०/24/4532 दिनांक 23/10/24 से रिपोर्ट पेश कर अंकित किया है कि विवादित आराजी पर बदनसिंह पुत्र लोधी जाति जाटव सा० देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिस पर मा० न्या० में विचाराधीन प्रकरण सं 334/22 उनवान बदनसिंह पुत्र लोधी जाटव बनाम प्रेमसिंह वगैरह में मौके की यथास्थिति बनाए रखने बाबत स्थगन है उक्त खसरा नम्बरान पर बदनसिंह का कब्जा नहीं है। उक्त खसरा नम्बरों पर प्रेम सिंह पुत्र चोखे, सावित्री पत्नी गोपी, स्वरूप सिंह पुत्र मनोहरी आदि का कब्जा हो रखा है। उक्त आराजी पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। हमने विद्वान एडवोकेट प्रार्थी की बहस सुनी। एडवोकेट प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान एडवोकेट प्रार्थी को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी 2073-76, मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 12/07/2023, तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट दिनांक 10/6/2024, एवं 23/10/24 का गहनता से अध्ययन किया। जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। परन्तु विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नहीं होकर तहसीलदार बयाना ने अपनी रिपोर्ट में विवादित आराजी पर प्रेमसिंह, अंकित किया है सरूपी, समयसिंह का कब्जा होना अंकित किया है। विवादित आराजी पर न्यायालय के प्र० सं० 334/22 उनवान बदन सिंह बनाम प्रेम सिंह वगैरा में मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन दिया, एवं विवादित आराजी गम्भीर नदी के बहाव क्षेत्र में होना अंकित किया है। मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 12/7/2023 की द्वारा प्राप्ति अवलोकन में पाया गया कि मौके पर विवाद की स्थिति होने से सीमाज्ञान का कार्य पूर्ण नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान पुलिस बल की उपस्थिति में पूर्ण हो सकेगा अंकित किया है। विद्वान अधिवक्ता एडवो० प्रार्थी, तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट का अवलोकन बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादित आराजी पर न्यायालय का स्थगन है। साथ ही प्रार्थी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। विवादित आराजी का सीमाज्ञान नहीं हुआ है एवं विवादित आराजी गम्भीर नदी के बहाव क्षेत्र में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को किसी प्रकार की दादरसी नहीं [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दी जा सकती है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है। __आदेश__ – अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद – तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 07/11/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	